न्यायालयः अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश एस०सी०/एस०टी० एक्ट, हापुड़।
सत्र वाद संख्या– 479/2024
सरकार बनाम कपिल कुमार उर्फ रावण।
अंतर्गत धारा– 307, 414 भा०दं०सं० व 3/25 आर्म्स एक्ट।
मु०अ०सं० 131/2024
थाना– हापुड़ देहात, जिला– हापुड़।

आदेश (आरोप विरचन के संदर्भ में)

दिनांकः– 13.12.2024

पत्रावली पेश हुई। पुकार कराई गई। अभियुक्त **कपिल कुमार उर्फ रावण** जेरे जमानत उपस्थित।

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आरोप विरचन के बिन्दु पर बहस की गई। विद्वान विशेष लोक अभियोजक (एस०सी०/एस०टी० एक्ट) को सुना गया। विद्वान विशेष लोक अभियोजक (एस०सी०/एस०टी० एक्ट) द्वारा अपने केस का खुलासा किया गया और उस साक्ष्य का उल्लेख किया गया, जिसके द्वारा उन्हें अभियोजन का पक्ष कथन सिद्ध करना है।

पत्रावली का सम्यक अवलोकन किया गया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि अभियुक्त **कपिल कुमार उर्फ रावण** के विरुद्ध भा०दं०सं० की धारा 307, 414 व आर्म्स एक्ट की धारा 3/25 के अधीन आरोप विरचन हेतु पत्रावली पर पर्याप्त प्रलेखीय साक्ष्य उपलब्ध हैं। अतः अभियुक्त के विरुद्ध उक्त धारा के अधीन आरोप विरचित किया जाकर वास्ते अभियोजन साक्ष्य पत्रावली दिनांक 06.01.2025 को पेश हो।

दिनांकः– 13.12.2024

(हनी गोयल)
(J.O. CODE–UP02408)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश एस०सी०/एस०टी० एक्ट,
हापुड़।

Digitally signed by HONEY GOEL
Date: 2024.12.17 10:59:26 IST
Reason:
Document Owner
Location: District and Sessions Court

न्यायालयः अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश एस०सी०/एस०टी० एक्ट, हापुड़।
सत्र वाद संख्या– 479/2024
सरकार बनाम कपिल कुमार उर्फ रावण।
अंतर्गत धारा– 307, 414 भा०दं०सं० व 3/25 आर्म्स एक्ट।
मु०अ०सं० 131/2024
थाना– हापुड़ देहात, जिला– हापुड़।

आरोप

मैं, हनी गोयल, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश एस०सी०/एस०टी० एक्ट, हापुड़ एतद्द्वारा आप अभियुक्त **कपिल कुमार उर्फ रावण** को निम्नलिखित आरोपों से आरोपित करता हूं–

प्रथम– यह कि दिनांक 02.05.2024 को समय 03.05–03.35 बजे के बीच, बस्थान ददायरा फाटक से करीब 200 कदम की दूरी पर, थाना हापुड़ देहात, जनपद हापुड़ में आप अभियुक्त ने वादी मुकदमा को जान से मारने की नीयत से उनके ऊपर फायर करके ऐसा कार्य कारित किया कि यदि उस कार्य से वादी पक्ष की मृत्यु कारित हो जाती तो आप हत्या की कोटि में आने वाले आपराधिक मानववध के दोषी होते। इस प्रकार आपके द्वारा किया गया उक्त कृत्य भा०दं०सं० की धारा 307 के अधीन दण्डनीय अपराध है, जो इस न्यायालय के संज्ञान में है।

द्वितीय– यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आप अभियुक्त से एक अदद तमंचा, एक अदद कारतूस जिंदा, एक अदद खोखा कारतूस 315 बोर नाजायज व एक अदद चोरी की मोटरसाइकिल बरामद हुई। इस प्रकार आपके द्वारा किया गया उक्त कृत्य भा०दं०सं० की धारा 414 के अधीन दण्डनीय अपराध है, जो इस न्यायालय के संज्ञान में है।

तृतीय– यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आप अभियुक्त से एक अदद तमंचा, एक अदद कारतूस जिंदा, एक अदद खोखा कारतूस 315 बोर नाजायज बरामद हुए, जिनको रखने का लाइसेंस मांगे जाने पर आप लाइसेंस दिखाने में कासिर रहे। इस प्रकार से आपके द्वारा किया गया उक्त कृत्य आयुध अधिनियम की धारा 3/25 भा०दं०सं० के तहत दंडनीय अपराध है, जो इस न्यायालय के संज्ञान में है।

आरोप अभियुक्त को पढ़कर सुनाये एवं समझाये गये। अभियुक्त ने आरोपों को अस्वीकार किया और विचारण की मांग की।

दिनांकः– 13.12.2024

(हनी गोयल)
(J.O. CODE–UP02408)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश एस०सी०/एस०टी० एक्ट,
हापुड़।

अतएव एतद्द्वारा मैं, आपको आदेशित करता हूं कि उक्त आरोपों के लिए आपका परीक्षण इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

दिनांकः– 13.12.2024

(हनी गोयल)
(J.O. CODE–UP02408)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश एस०सी०/एस०टी० एक्ट,
हापुड़।